राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 235 / 2023

दिनेश कमेडिया अपीलार्थी–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रियाबाडी, नागौर।

प्रत्यर्थीगण–

प्रस्तुत करने की दिनांक : 13.07.2023
आदेश की दिनांक : 09.01.2024

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री हेमन्त श्रीमाली एवं राजकीय अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड उपस्थित।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि माह फरवरी 2023 से अपीलार्थी को अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना में वेतन भुगतान मय ब्याज सहित नियमानुसार प्रदत्त किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है किः–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 28.04.2020 को हुई थी। आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पीएचसी पादूकलां किया गया और आदेश दिनांक 06.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया। जिसको अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती दी और अधिकरण द्वारा उक्त आदेश को के संबंध में दिनांक 15.02.2023 को स्थगन आदेश जारी किया तथा साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश जारी होने से पूर्व कार्यरत था। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने पीएचसी पादूकलां ब्लॉक रियावंडी, नागौर कार्यग्रहण किया परन्तु विभाग द्वारा कार्यग्रहण उपरान्त अपीलार्थी को वेतन आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि अपीलार्थी निरन्तर अपनी संतोषजनक सेवाएं दे रहा है। फिर भी अपीलार्थी को माह फरवरी 2023 से वेतन भुगतान नहीं किया गया जो सेवा नियमों के विपरीत है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि माह फरवरी 2023 से अपीलार्थी को अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना में वेतन भुगतान मय ब्याज सहित नियमानुसार प्रदत्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखत जवाब प्रस्तुत ने करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी को वेतन आदि भुगतान के संबंध में कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। अपीलार्थी को उक्त संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम दस्तावेजों का अनुशीलन एवं मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट है कि अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 06.02.2023 को अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुए अपील संख्या 116/2023 प्रस्तुत की। जिसके संबंध में अनुलग्नक–6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा चुनौती दिए गए आदेश की क्रियान्विति को अधिकरण के आदेश दिनांक 15.02.2023 के द्वारा स्थगित किया गया है तथा यह भी निर्देश दिए गए कि अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश जारी होने से पूर्व कार्यरत था। इस प्रकार अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण किया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को माह फरवरी 2023 से वेतन भुगतान नहीं किए जाने का प्रश्न है अनुलग्नक–7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने दिनांक 28.06.2023 को कार्यग्रहण हेतु विभाग के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया परंतु विभाग द्वारा कार्यग्रहण उपरांत भी सेवाएं देने के बावजूद भी अपीलार्थी को वेतन भुगतान नहीं किया गया जो सेवा नियमों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 15.02.2023 को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार समस्त वेतन आदि का भुगतान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह में सुनिश्चित की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य